भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1230
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

विद्यालय स्तर पर छात्राओं के लिए पृथक शौचालय

†1230. **श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में लड़कियों के लिए क्रियाशील पृथक शौचालयों और भस्मक (इंसिनरेटर) सहित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) सुविधाओं से युक्त सरकारी स्कूलों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत कितना है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर पृथक-पृथक रूप में छात्राओं की वार्षिक ड्रापआउट दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या अपर्याप्त स्वच्छता अवसंरचना को छात्राओं के स्कूल छोड़ने (ड्रापआउट) से जोड़ते हुए कोई केंद्रीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी(

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) प्रणाली विकसित की है। यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, देश में बालिकाओं के लिए पृथक कार्यात्मक शौचालयों से युक्त सरकारी स्कूलों की संख्या और प्रतिशत अनुलग्नक-I में दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के एक भाग के रूप में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और भस्मक की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत 'मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना' कार्यान्वित करता है। इस योजना के उद्देश्यों में किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों की सैनिटरी नैपकिन तक पहुँच में वृद्धि करना तथा सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना के तहत आशाओं द्वारा स्कूलों और समुदाय के प्लेटफार्मों का उपयोग करके किशोर बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अनुसार, एनएचएम के तहत मासिक धर्म स्वच्छता मध्यवर्तनों ने वित्त वर्ष 2025-26 में सैनिटरी नैपकिन के वितरण और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक महीने 53.9 लाख किशोरियों तक पहुंच बनाई।

स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति भी तैयार की गई है, जो जागरूकता को बढ़ावा देने, सुरक्षित एवं किफायती मासिक धर्म अवशोषक तक पहुंच सुनिश्चित करने, वॉश अवसंरचना को सुदृढ़ करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अभिसरण के माध्यम से बिक्री निपटान तंत्र को सक्षम करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

(ख) यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वर्ष 2023-24 की 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)' रिपोर्ट के अनुसार, बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने के प्रमुख कारणों में परिवार की आय में योगदान देना, घरेलू कार्यों में सहायता करना, माता-पिता द्वारा शिक्षा को आवश्यक न समझना आदि शामिल हैं।

.

अनुलग्नक–I

माननीय संसद सदस्य श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर द्वारा 'विद्यालय स्तर पर छात्राओं के लिए पृथक शौचालय' के संबंध में दिनांक 27/07/2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1230 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/यूटी/भारत	बालिकाओं हेतु पृथक कार्यात्मक शौचालय युक्त स्कूल	प्रतिशत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	335	100.0
आंध्र प्रदेश	42,931	98.1
अरुणाचल प्रदेश	1,675	67.9
असम	44,206	99.3
बिहार	75,777	99.3
चंडीगढ़	116	100.0
छत्तीसगढ़	44,598	92.9
दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	353	100.0
दिल्ली	1,923	100.0
गोवा	771	100.0
गुजरात	32,865	97.2
हरियाणा	13,905	99.7
हिमाचल प्रदेश	14,406	99.8
जम्मू और कश्मीर	15,524	83.1
झारखंड	33,772	94.7
कर्नाटक	47,308	98.2
केरल	4,775	99.5
लद्दाख	631	86.8
लक्षद्वीप	34	100.0
मध्य प्रदेश	82,502	91.6
महाराष्ट्र	61,503	96.2
मणिपुर	2,857	97.4
मेघालय	4,199	74.7
मिज़ोरम	1,899	72.7
नागालैंड	1,371	72.1
ओडिशा	47,536	97.9
पुडुचेरी	400	100.0
पंजाब	18,843	98.8
राजस्थान	60,238	86.1
सिक्किम	737	98.0
तमिलनाडु	37,015	99.5
तेलंगाना	26,102	95.2
त्रिपुरा	3,038	73.3
उत्तर प्रदेश	1,34,629	98.3
उत्तराखंड	14,524	92.0
पश्चिम बंगाल	77,210	95.5
भारत	950508	95.4

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर द्वारा 'विद्यालय स्तर पर छात्राओं के लिए पृथक शौचालय' के संबंध में दिनांक 27/07/2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1230 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर

	प्राथमिक (1 से 5)			उच्च प्राथमिक (6-8)			माध्यमिक (9-10)		
भारत/राज्य/यूटी	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
भारत	1.7	0	0.1	5.3	2.9	3.4	12.6	9.6	8
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.1	0	0	0.8	0.8	3.4	3.5	2.8
आंध्र प्रदेश	0	1	0	0.8	2.6	0	10.6	12.5	7.2
अरुणाचल प्रदेश	5.1	4.5	2.8	6.5	5.3	4.3	18.2	17.7	12.4
असम	5.2	2.9	1	6.1	3.2	3.4	25	16.7	13.9
बिहार	8.7	1.2	1.9	25.9	6.6	8	25.1	6.8	9.1
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1.4	1.1	0
छत्तीसगढ़	1.5	0.4	0.9	4.3	2.5	3.6	12.6	11.6	11.8
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.5	0	0	3	0.8	1.2	15.4	8.6	8.6
दिल्ली	0	0	0	0.6	0.2	1	9.1	5.8	5.9
गोवा	0.9	0.2	0.1	1	0.8	1	5.8	6.3	4.7
गुजरात	0.1	0	0	4.9	6.3	5.6	18.3	14.6	13.3
हरियाणा	0.7	0	0	3.7	0.9	2.1	11.4	4.1	3.8
हिमाचल प्रदेश	0	0	0.4	0.4	0.3	1.3	4	4.8	4.2
जम्मू और कश्मीर	1.3	1.1	1	3.3	3.2	3	12.6	12.2	11.1
झारखंड	0.6	0	0	8.6	0	1.9	15.1	2.4	5.9
कर्नाटक	1.5	0	0	2.4	1.6	1	19.6	14.6	13.9
केरल	0	0.7	0.1	0	0.3	0	2.5	3.7	3
लद्दाख	3.6	1.5	0.8	4.3	3.7	2.1	16.7	14.4	15.6
लक्षद्वीप	1.4	0.4	0.1	0	1.5	2.7	2.2	5	4.8
मध्य प्रदेश	0.7	0	0	6.5	5.9	6.1	15.5	14.6	11.3
महाराष्ट्र	0	0	0	0.5	0.6	0	9	10.3	8
मणिपुर	4.4	2.6	6	3	0.3	1.3	15	8.6	8.2
मेघालय	6.8	3.2	2.9	11.1	6	5.1	21.1	16.6	5
मिज़ोरम	3.3	10.7	1.6	4.9	10.3	1.4	14.4	16	8.9
नागालैंड	4.2	2.5	2.9	5.2	3.8	3.5	11.1	11.2	12.4
ओडिशा	0	0.3	0.2	1.7	2.6	1.9	11.3	12.6	11.2
पुडुचेरी	0.9	0	0	1.2	0	0	5	3.1	1.3
पंजाब	0	2.3	0.6	2.2	2.4	1.5	5	5.2	4.8
राजस्थान	7	3.3	2.6	6.4	3.6	4.4	9.7	7.1	7.8
सिक्किम	1.7	0.6	0	4	1.6	0.8	17.2	8.4	10.2
तमिलनाडु	0	2.5	0	0	2.4	0	4.4	5.3	3.2
तेलंगाना	0	0	0.4	0	0	1.1	9.5	10.7	4.3
त्रिपुरा	0.3	0	0	3.6	2.3	2.7	10.1	10.2	9.7
उत्तर प्रदेश	1.7	0	0	4.8	3.1	6.8	7.3	5.1	7.3
उत्तराखंड	0	0.5	1.8	1.9	0.8	2.8	5.3	3	4.8
पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	1.5	0.4	14.2	16.7	5
स्रोत : यूडाइज+									